भारत दस रु. भारत दस रु. भारत पाँच रुपये भारत पाँच रुपये भारत पाँच रुपये भारत पाँच रुपये INDIA FIVE RUPEES Rs.5

(4)

(1)

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल म०प्र० ग्वालियर खण्ड पीठ सागर

निगरानी – 5491/2018/सागर/भू.रा.

सामूहिक कृषि सहकारी समिति ग्राम तहसील राहतगढ़ जिला सागर की ओर से अपीलार्थीगण/पुनरीक्षणकर्तागण

(1) गोदेराम अहिरवार वल्द स्व. श्री घोकल
(2) बेवा वेनीबाई अहिरवार पत्नि स्व. कल्यान
(3) दुर्जन अहिरवार वल्द स्व. श्री गनपत
(4) कंधेडी अहिरवार वल्द स्व. श्री खुमान
(5) भगवानदास वल्द श्री कंधेडी अहिरवार
(6) सुरेश अहिरवार वल्द श्री कंधेडी अहिरवार
(7) बेवा जमनाबाई पत्नि स्व. श्री मुन्ना अहिरवार
(8) गरीबा (मृत) पुत्र नन्ना वारिस पुत्र कनई वल्द गरीबा
(9) बेवा इमरतबाई पत्नि स्व. श्री मनुआ अहिरवार
(10) गोकल अहिरवार वल्द स्व. श्री ग्यारसा
(11) मुरलीधर वल्द स्व. श्री ग्यारसा
(12) बेवा लक्ष्मीबाई पत्नि स्व. श्री छोटेलाल पुत्रवधु स्व. धुरी
(13) रम्मू उर्फ रमेशप्रसाद वल्द गन्नू उर्फ गनेश अहिरवार
(14) जगरथ अहिरवार वल्द स्व. श्री गन्नू अहिरवार
(15) मुकेश कुमार वल्द स्व. श्री गन्नू अहिरवार
(16) मुन्ना वल्द स्व. श्री सुम्मा अहिरवार
(17) धनसींग वल्द स्व. श्री सुम्मा अहिरवार
(18) रूपसींग वल्द स्व. श्री सुम्मा अहिरवार
(19) दुर्जन वल्द गनपत अहिरवार
(20) कल्लोबाई पत्नि रमेश आत्मजा कुल्ला अहिरवार
(21) रामू वल्द स्व. श्री रामलाल अहिरवार
(22) कोमल वल्द स्व. श्री गन्नू अहिरवार
(23) पूरन वल्द स्व. श्री रामलाल अहिरवार
(24) देवराम वल्द स्व. श्री मिट्ठू अहिरवार
(25) संतोष वल्द स्व. श्री

(क्रमशः 2/-)

रमेशप्रसाद

हस्ताक्षर

के हस्ताक्षर

S.O.R. 06 AUG 2018

153 16/8/18

(26) रामप्रसाद वल्द स्व. श्री मिट्ठू अहिरवार
(27) मुन्नालाल वल्द स्व श्री बारेलाल अहिरवार
(28) कुड़ोरी वल्द स्व श्री छुट्टा अहिरवार
(29) हरचंद वल्द स्व श्री छुट्टा अहिरवार
(30) मौजीलाल वल्द स्व. श्री वासिया अहिरवार
(31) बेवा मीराबाई पत्नि स्व श्री खुशीलाल अहिरवार
(32) बेवा पच्चोबाई (मृत) पत्नि हल्काई वारिस पुत्र रमेश वल्द हल्काई
(33) बिहारीलाल वल्द स्व. श्री मंडे अहिरवार
(34) मुन्नालाल वल्द स्व. श्री मंडे अहिरवार
(35) खेतसींग वल्द स्व. श्री मंडे अहिरवार

उक्त सभी क्रमांक (1) से (35) निवासी- ग्राम झिला तहसील राहतगढ़ जिला सागर (म.प्र.) संभाग सागर

------ पुनरीक्षणकर्तागण

विरुद्ध

म.प्र. शासन

------ प्रति पुनरीक्षणकर्ता

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 Sumoto सहपठित धारा 32 म.प्र.भू.रा. संहिता

पुनरीक्षण अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार राहतगढ़ के द्वारा रा.प्र.क्र. 224/ 9/ 121 वर्ष 17-18 में कलेक्टर सागर के निर्देशानुसार विधिसम्मत प्रतिवेदन दिनांक 12-12-17 प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रतिवेदन में पटवारी प्रतिवेदन दिनांक 23-6-16, आवेदक साक्षियों के प्रमाणीकरण. बाढ़ग्रस्त भूमि में आमजनता द्वारा इश्तहार पर कोई आपत्ति नहीं, फर्द वटांक स्थल पंचनामा दि. 23-6-16 पूर्व पटवारी प्रतिवेदन - फर्द वटांक प्रतिवेदन अनुसार. मौका अनुसार कब्जा अनुसार प्रतिवेदन अनुरूप बाढ़ग्रस्त भूमि वर्ष 67-68 से पुनरीक्षणकर्तागण की सोसाइटी के नाम दर्ज थी। म.प्र. शासन - पंजीयक सहकारी संस्थायें म.प्र. भोपाल के पत्र क्र./ विविध/ कृषि/ 90/ 95 भोपाल दिनांक 7/7/90 एवं म.प्र. शासन राजस्व विभाग मंत्रालय के आदेश क्रमांक F-16-47/ सात/ 2A/ 97 भोपाल दिनांक 26-10-97 के आदेशों की अवज्ञा कर झूठा बनावटी प्रतिवेदन पुनरीक्षणकर्तागणों को क्षति कारित करने के लिए दिया। (क्रमशः 3 पर)

[signature]

[signature]

(3)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-5491/2018/सागर/भू.रा. सामूहिक कृषि सहकारी समिति विरूद्ध गोदेराम व अन्य

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
03-10-2018 03.10.18	1. प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक अभिभाषक श्री एम.एल. रोहित उपस्थित । उन्हें कायमी पर दिनांक 14-09-2018 को सुना गया । यह निगरानी अपर आयुक्त सागर के प्रकरण क्रमांक 1147/A/2017-18 में पारित आदेश दिनांक 05-04-2018 के विरूद्ध दिनांक 16-08-2018 को कैम्प सागर में प्रस्तुत की गई है । 2. आवेदक अभिभाषक के तर्कों पर विचार किया गया एवं अपर आयुक्त सागर के आदेश का अवलोकन किया गया, जिसमें कलेक्टर जिला सागर के प्रकरण क्रमांक 224/B-121/2017-18 में पारित आदेश दिनांक 24-02-2018 को म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में वर्णित प्रावधानों के तहत पारित मानकर कलेक्टर के आदेश को स्थिर (Maintain) रखा गया है । 3. मेरे द्वारा निगरानी मैमों के साथ संलग्न कलेक्टर के आदेश दिनांक 24-02-2018 की आदेश पंजिका का अवलोकन किया गया । आदेश निम्नानुसार है । " प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ़ जिला सागर से प्राप्त । प्रकरण में तहसीलदार राहतगढ़ द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि अपर कलेक्टर सागर के राजस्व प्रकरण क्रमांक 06अ/19(3) वर्ष 1993-94 में पारित आदेश दिनांक 08-12-2000 के अनुसार प्रश्नाधीन भूमि म.प्र. शासन छोटाघास, चरोखर मद में अंकित किये जाने का आदेश पारित कर प्रश्नाधीन भूमि शासकीय मद में दर्ज कराई गई । जिसके विरूद्ध व्यथित पक्षकारों द्वारा वरिष्ठ न्यायालय में अपील नहीं की । आवेदकगण द्वारा निरंतर कब्जा होने के संबंध में दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत नहीं किये गये जिससे उनके कब्जा की पुष्टि होती हो । समिति अध्यक्ष धोकल पिता मेहगू फौत हो चुका है । भूमि शासकीय मद में दर्ज है । तहसीलदार के प्रतिवेदन	

से सहमत होकर अनुविभागीय अधिकारी राहतगढ़ ने प्रकरण अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किया ।''

4. उक्त से स्पष्ट है कि प्रकरण में दिनांक 08-12-2000 में ही उक्त भूमि शासकीय दर्ज हो चुकी है, जिसके विरूद्ध किसी अपील की जानकारी निगरानी मैमों में वर्णित नहीं है । अत: उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में अपर आयुक्त सागर संभाग के आदेश दिनांक 05-04-2018 एवं कलेक्टर सागर के आदेश दिनांक 24-02-2017 में हस्तक्षेप की आवश्यकता न होने से निगरानी आवेदन अग्राह्य किया जाता है ।

5. आवेदक अभिभाषक सूचित हो ।

03.10.18
(आर.के.जैन)
सदस्य